

सं०-7/विधायक-15-01/2018- 35 (7) a

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सिविल सर्जन, पटना
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी,
विधायक अस्पताल, पटना।

पटना, दिनांक 01-10-18

विषय : स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या 20 शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी- 200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0006-विधायक अस्पताल, पटना विपत्र कोड-20-2210012000006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹29,15,500/- (उनतीस लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अंतर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या-06(7)ब दिनांक-07.06.18 के क्रम में वर्तमान वर्ष 2018-2019 में वेतन भत्ते एवं अन्य इकाईयो में कुल ₹29,15,500/- (उनतीस लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. मांग संख्या 20 शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- एलोपैथी- 200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ-0006-विधायक अस्पताल, पटना विपत्र कोड- 20-2210012000006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से निकासी की जायेगी।

4. सामग्री एवं पूर्तियों /दवा इकाई में आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन, पटना होंगे तथा शेष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के उपाधीक्षक /प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना होंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी कर्मचारी का ही वेतन का भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र, वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।




1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।

सिविल सर्जन / संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

7. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है ।
8. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक- 15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।
9. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
10. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
12. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव




ज्ञापांक : 35(7)A


/पटना, दिनांक : 01-10-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन, पटना/ संबंधित उपाधीक्षक/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव



विवरणी

व्यय शीर्ष -2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-200-अन्य स्वास्थ्य योजनाएं-0006-विधायक अस्पताल, पटना विपत्र कोड 20-2210012000006 अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों में वित्तीय वर्ष 2018-2019 में अतिरिक्त आवंटित राशि।

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0006-01-01)	14147000	11317600	1990000	13307600	839400
2	जीवन यापन भत्ता (0006 01 03)	2122000	1697600	300000	1997600	124400
3	मकान किराया भत्ता (0006 01 04)	2263000	1810400	319000	2129400	133600
4	परिवहन भत्ता (0006 01 05)	204000	163200	30000	193200	10800
5	चिकित्सा भत्ता (0006 01 06)	204000	163200	30000	193200	10800
6	अन्य भत्ता (0006 01 07)	707000	565600	99000	664600	42400
7	त्यौहार अग्रिम (0006 01 08)	100000	50000	0	50000	50000
	योग 20-2210012000006 वेतन	19747000	15767600	2768000	18535600	1211400
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0006 06 01)	200000	50000	0	50000	150000
9	यात्रा व्यय (0006-11 01)	15000	7500	7500	15000	0
10	कार्यालय व्यय (0006 13 01)	50000	25000	25000	50000	0
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव(0006 13 02)	130000	50000	0	50000	80000
12	विद्युत प्रभार (0006-13 04)	100000	75000	0	75000	25000
13	विधि प्रभार (0006 13 05)	100000	50000	0	50000	50000
14	वर्दी/ पोषाक (0006 13 06)	10000	5000	5000	10000	0
15	प्रशिक्षण व्यय (0006 20 03)	187000	10000	0	10000	177000
16	सामग्री एवं पूर्तियों (0006 21 01)	120000	60000	0	60000	60000
17	दवा भंडार (0006 21 02)	1200000	600000	0	600000	600000
18	संविदा सेवाएँ (0006 28 02)	100000	50000	50000	100000	0
19	मशीने एवं उपस्कर (0006 52 01)	120000	60000	60000	120000	0
	कुल योग:-	22079000	16810100	2915500	19725600	2353400
कुल (उनतीस लाख पन्द्रह हजार पाँच सौ) रुपये मात्र						

35(7)A
01-10-18

सरकार के विशेष सचिव
विशेष